

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक:- मु०अ०(नि०)मु०म०से०-35/2025 1192

/पटना, दिनांक- 30.03.2025

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा० प्र० से०
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:- मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-103, उप शीर्ष-0122, विपत्र कोड-37-4515-00-103-0122-53-01-V के अन्तर्गत बिहार राज्य के अरवल, भोजपुर, बक्सर, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सीवान एवं वैशाली जिला में (परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 66 (छियासठ) पुलों के निर्माण योजनाओं पर योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-103, उप शीर्ष-0122, विपत्र कोड-37-4515-00-103-0122-53-01-V के अन्तर्गत बिहार राज्य के अरवल, भोजपुर, बक्सर, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सीवान एवं वैशाली जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल अरवल, डुमराँव, गोगरी, गोपालगंज-1, गोपालगंज-2, हाजीपुर, हथुआ, इमामगंज, जहानाबाद, मोहनियाँ, मुजफ्फरपुर पूर्वी-2, पीरो, पुपरी, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, शेरघाटी, सिमरी बख्तियारपुर, सीवान-1, टिकारी एवं उदाकिशुनगंज के अधीन (परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 66 (छियासठ) पुलों के निर्माण योजनाओं जिसकी कुल लम्बाई 1834.86 मी० एवं निर्माण की कुल राशि 17540.928 लाख (एक सौ पचहतर करोड़ चालीस लाख बानवे हजार आठ सौ रुपया मात्र) है- हेतु योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

परिशिष्ट-1

S. N	Name of District	Name of Division	Name of Block	Name of Bridge/Road in Which Bridge is Proposed	Length of Bridge as Per DPR (In m)	Construction Cost (Rs in Lakh)	Maintenance Cost (Rs in Lakh)	Contingency Cost (Rs in Lakh)	Administrative Cost (Rs in Lakh)	Land Acquisition/Utility Cost (Rs in Lakh)	Total Cost (Rs in Lakh)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Arwal	Arwal	Suryapur	Sonbhadra banshi suryapur block ke gram P- Mali antargat Santoshi Vigha-Manga Vigha ke bich me pathar ke pas pain me RCC pulliya ka nirman.	13.75	125.589	1.678	1.256	3.140	0.000	131.663

L

S. N	Name of District	Name of Division	Name of Block	Name of Bridge/Road in Which Bridge is Proposed	Length of Bridge as Per DPR (In m)	Construction Cost (Rs in Lakh)	Maintenance Cost (Rs in Lakh)	Contingency Cost (Rs in Lakh)	Administrative Cost (Rs in Lakh)	Land Acquisition/Utility Cost (Rs in Lakh)	Total Cost (Rs in Lakh)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Gaya	Tekari	Guraru	Darorah panchayat antargat mahuaal gram ke manjil tola jitan bigha main pul ka nirman	13.80	67.780	1.841	0.678	1.525	0.000	71.824
63	Gaya	Tekari	Guraru	darorah panchayatantargat mahuaal se tineri road main pain par pul ka nirman karya	13.80	70.333	1.839	0.703	1.582	0.000	74.457
64	Madhepura	Udakishan ganj	Alamnagar	Purani basa ke najdik basnawara dhar par RCC pul ka nirman	38.76	370.180	3.820	3.740	8.410	0.000	386.150
65	Madhepura	Udakishan ganj	Alamnagar	Keshopur ke Niket Hreli Dhar mai RCC pul Nirman	30.26	324.440	2.940	3.270	7.370	0.000	338.020
66	Sivan	Sivan-1	Siswan	Subha Hata Gabira Mukh Path me Nahar par	11.70	99.871	2.306	0.834	2.299	0.000	105.310
Total					1834.86						17540.928

- इन योजनाओं को दो वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
- संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता इन योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
- योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
- इन योजनाओं का व्यय मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, विपत्र कोड-37-4515-00-103-0122 -53-01-V के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- इन योजनाओं के निर्माण की राशि, कटिजेंसी की राशि एवं भूमि अधिग्रहण की राशि का व्यय योजना शीर्ष 4515 एवं अनुरक्षण की राशि का व्यय योजना शीर्ष 3054 से भारित होगा।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, विपत्र कोड-37-4515-00-103-0122-53-001-V के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 05.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोक वित्त समिति से दिनांक 22.01.2025 को इस योजना हेतु कुल 3000.00 करोड़ रुपये का Bank Of Sanction (BOS) प्राप्त है।
- संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए संबंधित कार्य अंचल के संबंधित अधीक्षण अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेगे।
- संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
- इन योजनाओं की योजनावार स्वीकृति समीक्षा प्राधिकार विभागीय स्थायी वित्त समिति के अनुशंसोपरांत अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा संचिका संख्या मु०अ०(नि०)मु०म०से०-35/2025 के पृष्ठ संख्या 27/टि० पर प्राप्त है।

A

10. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या मु०अ०(नि०)मु०म०से०-35/2025 के पृष्ठ संख्या- 39/टि० पर दिनांक 23.03.2025 को प्राप्त है।
11. ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।
12. संबंधित कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/ विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
13. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।
14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
15. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
16. संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका 17 के आलोक में स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।
17. संबंधित कार्यपालक अभियंता विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर STA के Technical Vetting के उपरांत ही उच्च स्तरीय पुलों की प्रावैधिक स्वीकृति कराना सुनिश्चित करेंगे।
18. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यों को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी निरीक्षी प्राधिकारी भी उत्तरदायी माने जाएंगे।
19. इन योजनाओं हेतु वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक 03.12.2024 के कंडिका 10 के आलोक में राशि की विमुक्ति उदव्यय/बजट उपबंध के पश्चात् ही की जा सकेगी।

विश्वासभाजन

ह०/-

(उज्ज्वल कुमार सिंह)

विशेष सचिव

ज्ञापांक:- मु०अ०(नि०)मु०म०से०-35/2025 - 1192

/पटना, दिनांक- 30.03.2025

प्रतिलिपि:-महालेखाकार(लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष सचिव